29.09.25

वकील पारी उपस्थित कृषक की कार्यवाही प्रारंभ की गई
है। कृषक अभाव में पत्रावली इसी स्तर पर खारिज
की जाती है। नियम से रद्द हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/188

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.09.29 18:54:52 IST
Reason: SelfAttested